पीआइएल का उद्देश्य केवल सार्वजनिक हित होना चाहिए, न कि निजी : हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण मामले की सीबीआइ जांच वाली जनहित याचिका खारिज की, कोर्ट ने पीआइएल के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा गांव की जमीन अधिग्रहण में कथित 2300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजा घोटाले की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने याचिका में सीबीआइ/ईडी जांच, एफआइआर दर्ज करने और 300 करोड़ की वसूली की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की इस मामले में सीधी व्यक्तिगत रुचि है और यह वास्तविक जनहित याचिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि पीआइएल का उद्देश्य केवल सार्वजनिक हित होना चाहिए, न कि निजी लाभ या प्रसिद्धि। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता की सुरक्षा राशि भी जब्त करने का आदेश दिया।

याचिका की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहा

हाई कोर्ट ने कहा कि पीआइएल का उद्देश्य केवल वास्तविक जनहित होना चाहिए। अगर इसमें याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्धि या निजी उद्देश्य दिखता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों (बलवंत सिंह चौफाल, अशोक कुमार पांडे, गुरपाल सिंह, होलिका पिक्चर्स इत्यादि मामलों) में साफ किया है कि झूठी या निजी मकसद वाली पीआइएल से न्यायपालिका का समय बर्बाद होता है और असली पीड़ितों को न्याय से वंचित होना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि दुर्गेश शर्मा की सीधी और व्यक्तिगत भागीदारी इस विवाद में दिख रही है, इसलिए यह याचिका जनहित नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित की है। हाई कोर्ट ने याचिका को व्यक्तिगत उद्देश्य वाली मानते हुए खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि वास्तविक प्रभावित पक्ष चाहें तो वे कानून के तहत उचित मंच पर अपनी शिकायत ले जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने रखी थी ये मांगें

याचिकाकर्ता दुर्गेश शर्मा जो स्वयं अधिवक्ता हैं, उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि, पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सीबीआइ से कराई जाए। दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। जिन लोगों को अवैध 300 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा मिला है, उनकी संपत्ति जब्त कर राशि की वसूली की जाए। राजस्व विभाग, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक सहित कई अधिकारियों की भूमिका की जांच हो।

कोर्ट में पेश की गईं दलीलें

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने कई बार राजस्व मंडल, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई। केवल सीमित विभागीय कार्रवाई सात अधिकारियों पर हुई और अंत में तीन पर ही कार्यवाही चलाई गई, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारी समान रूप से जिम्मेदार थे। इससे स्पष्ट होता है कि मामला पिक एंड चूज की नीति से निपटाया गया। वहीं, राज्य सरकार और अन्य पक्षों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, यह याचिका वास्तविक जनहित याचिका (पीआइएल) नहीं है। याचिकाकर्ता स्वयं अधिवक्ता हैं और इस विवाद को वे व्यक्तिगत रुचि और पेशेवर लाभ के लिए उठा रहे हैं।

इन वजह से खारिज हुई याचिका

याचिकाकर्ता दुर्गेश शर्मा खुद अधिवक्ता हैं और यह पूरा विवाद (बजरमुड़ा जमीन अधिग्रहण मुआवजा) वे पहले भी अलग-अलग मंचों पर उठा चुके थे। इससे यह साफ हो गया कि उनकी इस याचिका में जनहित कम और व्यक्तिगत/पेशेवर हित ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि पीआइएल का मकसद केवल तभी स्वीकार होगा जब उसमें सार्वजनिक नुकसान, आम जनता के अधिकार या किसी बड़ी सामाजिक समस्या का पहलू हो। लेकिन इस मामले में प्रभावित पक्ष (भूमि मालिक या अन्य ग्रामीण) खुद अदालत नहीं आए, बल्कि अधिवक्ता ने उनकी ओर से याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट कई बार (जैसे बलवंत सिंह चौफाल मामला, अशोक कुमार पांडे मामला) कह चुका है कि झूठी या निजी मकसद वाली पीआइएल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने इन्हीं फैसलों का हवाला देकर कहा कि पीआइएल का मंच लोकहित के लिए है, न कि व्यक्तिगत प्रचार या लाभ के लिए। याचिकाकर्ता ने कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि यह मामला पूरे समाज या आम जनता के हित का है। इसी वजह से कोर्ट ने पीआइएल को गैर-गंभीर, निजी उद्देश्य वाली मानकर खारिज कर दिया।